

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक:सं3-6(6)स्था/अभि/मंत्रा/18/10/19-69 दिनांक: 26/09/2023

**पदोन्नति आदेश**

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद की वर्ष 2015-16, 2018-19, 2021-22, 2022-23 के विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही का पुनर्विलोकन करने हेतु दिनांक 26.09.2023 को आयोजित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न मंत्रालयिक कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्षों में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय पिता का नाम	चयन वर्ष जिस पर चयन की सिफारिश की गई।	चयन पर वरिष्ठता जहां निर्धारित की गई
1.	श्री नृसिंह दास जोशी पुत्र श्री गणेश दास सेवानिवृत्त	2015-16	श्री कैलाश चन्द्र सेनी के नीचे रहेगी।
2.	श्री छोगाराम पुत्र श्री नौरग लाल सेवानिवृत्त	2018-19 रिक्ति 01.04.18	श्री भोमाराम बावल के नीचे रहेगी।
3.	श्री अनिल मेवाडा पुत्र श्री गोपाल लाल	2021-22 रिक्ति की दिनांक 01.04.2021	श्री शिव कुमार आचार्य के नीचे रहेगी।
4.	श्री भानु कुमार थावानी पुत्र श्री रमेश चन्द	2021-22 रिक्ति की दिनांक 01.04.2021	श्री सुखविन्दर सिंह के नीचे रहेगी।
5.	श्री पूरण सिंह पुत्र श्री मानसिंह जाट	2022-23 रिक्ति की दिनांक 01.04.2022	श्री रामनारायण के नीचे रहेगी।
6.	श्री हरि सिंह पुत्र श्री खुमान सिंह	2022-23 रिक्ति की दिनांक 01.04.2022	श्री राजकुमार के नीचे रहेगी।

उक्त पदोन्नति वर्षों में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई शेष अनुशंसाओं को यथावत रखा गया।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार तालिका में वर्णित कार्मिकों जिनकी पदोन्नति 2019-20 में या पश्चातवर्ती वर्षों में की गई है ऐसे कार्मिकों का वेतन ऐसी पदोन्नति पर, उस वेतन पर जिसे वह आहरित करता पर पुनः नियत किया जायेगा किंतु कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा एवम् तालिका में वर्णित ऐसे कार्मिक जिनका पदोन्नति पर चयन वर्ष 2020-21 में या आगामी वर्षों में किया गया है उस वेतन पर पदोन्नति वर्षों में पद के

Signature valid

Digitally signed by Raj Sharma  
Designation: Director  
Date: 2023.09.26 17:16:26 IST  
Reason: Approver

RajKaj Ref No. : 4792965



लिए नियत किया जायेगा किंतु यह तीन पश्चातवर्ती वर्षों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु काल्पनिक रूप से हकदार होगा और ऐसे तीन वर्षों के पश्चात् उसी ऐसी वेतन वृद्धियों के वास्तविक फायदे अनुभूय्य होंगे तथापि ऐसी काल्पनिक वेतन वृद्धियों के लिए कोई बकाया संदत्त नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त पदोन्नत कार्मिकों के (सेवानिवृत्त कार्मिकों को छोड़कर) पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जावेगे।

(रवि शर्मा)  
निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
02. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि) राजस्थान जयपुर।
03. उप/सहायक निदेशक अभियोजन.....
04. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक (वरिष्ठ) अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
05. सम्बन्धित कार्मिक .....द्वारा:- कार्यालयध्यक्ष।
06. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन  
राजस्थान जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Rav Sharma  
Designation: Director  
Date: 2023.09.26 17:16:26 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4792965

